<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-5084/2026</u>

<u>आदेश</u>

<u>18.08.2026</u>

(1) यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **फराज खान पुत्र राहत खान** की ओर से **मु०अ०सं० 163/2026** अन्तर्गत **धारा 281, 125(a) BNS** थाना **बिनावर** के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया।

(2) अभियुक्त आत्मसमर्पण के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में है।

(3) अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

(4) सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में सात वर्ष से कम दण्ड का प्रावधान है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार है।

(5) अतः मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की नवीनतम विधि व्यवस्था **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में दिये गये दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन **25,000/-** रूपये का एक प्रतिभू व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र दाखिल करने पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(**सत्या चौधरी**)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
न्यायालय संख्या-3, बदायूँ।